फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिए)

राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

विभागीय अधिकारी(रा.) तखतपुर, जिला–बिलासपुर के न्यायालय मामला कमांक सन.......2024–25

...ाई के अनुमति बाबत्। रा.प्र.क्र........................ मद अ–62/2024–25

...तहसील सकरी प.ह.न.30 जिला बिलासपुर (छ.ग.)

...कार्यवाही ...तारीख एवं स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही अनिल कुमार तोमर विरूद्ध छ.ग. शासन 202505075200093	जहां आवश्यक हों, पक्षों अथावा वकीलों के हस्तांक्षर, आदेशों के पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख (3)
20.03.2025	– आवेदक अनिल कुमार तोमर पिता एस.आर. तोमर द्वारा ग्राम घुटकू प.ह.न.30 तहसील सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित खसरा नम्बर 56, 61/1, 61/2, 61/3, 71/2, 75, 76 कुल एरिया 9.69 एकड़ में खम्हार– 8140 नग, सगौन–412, मेल्जियम–100 नग, बांस–125 नग, उक्त वृक्षों को काटने हेतु छ.ग.भू–राजस्व संहिता की धारा–240 के अंतर्गत अनुमति चाही गई है। – प्रकरण दर्ज हो। – प्रकरण जांच हेतु नायब तहसीलदार गनियारी को भेजा जावे। – प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लिया जावे। अनुविभागीय अधिकारी(रा.), तखतपुर, जिला–बिलासपुर छ.ग. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	
1-4-25 ...4-25	प्रकरण पेश। प्रकरण अ.वि.अ.-(रा) तखतपुर से प्राप्त। हल्का पटवारी को ज्ञापन जारी हो।	जारी

नायब तहसीलदार
गनियारी

9/5/25

प्रकरण पेश।
आवेदक स्वयं उपस्थित।
हल्का पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त।
प्रकरण प्रतिवेदन हेतु।

नायब तहसीलदार
गनियारी

Order re

Bani B

29/5/25 प्रकरण प्रतिवेदन हेतु।

आवेदक अनिल कुमार तोमर पिता एस आर तोमर द्वारा ग्राम खुटकू प.ह.नं. 59 तहसील सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. मे स्थित भूमि ख.नं. 56, 61/1, 61/2, 61/3, 71/2, 75, 76 कुल रकबा 9.69 हे. में सनम्हार - 8150 नग, सागौन - 412, मेलिजयम 200 नग, बांस - 125 नग, उक्त वृक्षो को काटने हेतु छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा-240 के अंतर्गत अनुमति चाही गई है। उक्त प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अ.वि.अ. (रा) तखतपुर से प्राप्त हुआ है।

हल्का पटवारी खुटकू को ज्ञापन जारी किया गया। हल्का पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। आवेदक द्वारा मौके पर बतलाया गया कि मेरे द्वारा सिर्फ सागौन वृक्ष काटने संबंधी अनुमति बाबत् प्रस्तुत किया है, आवेदक द्वारा मौके पर सागौन वृक्ष के कुल 363 नग वृक्षों को काटा गया है जो कि मौके पर मौजूद है। आवेदक की भूमि मे कुल 363 नग सागौन वृक्ष का राजस्व अभिलेख में इंद्राज है

अतः उक्त प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु अ.वि.अ (रा) तखतपुर के समक्ष सादर सम्प्रेषित है

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला – बिलासपुर,(छ.ग.)

क्रमांक /अविअ/वा–1 /2025/1884 तखतपुर, दिनांक 29/05/2025

202505075200093

प्रारूप–ड.
(नियम 7(2)देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

श्री अनिल कुमार तोमर पिता ए.एस. तोमर
निवासी मिनोचा कालोनी बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर(छ.ग.)

विषय :– रोपित किये गये वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषान्तर्गत आपका निवेदन आवेदन दिनांक 06.03.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया। वन विभाग एवं राजस्व निरीक्षक के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:–

1.– ग्राम घुटकू प.ह.न. 30 खसरा नंबर 56, 61/1, 61/2, 61/3, 71/2, 75, 76 कुल रकबा 9.69 एकड़ में खम्हार 8140 नग, सागौन 412, मेलियम 100 नग, बांस 125 नग, उक्त वृक्षों को काटनें हेतु छ0ग0 भू0 राजस्व संहिता की धारा 240 के अंतर्गत अनुमति चाही गई हैं
2.– खाते पर प्राकृति रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या – निरंक है।
3– खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या – खम्हार 8140 नग, सागौन 412, मेलियम 100 नग, बांस 125 नग है।
4– पूर्व में इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटनें की अनुशंसा निरंक है।
5– खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या – निरंक है।
6– नियम 2 की लागू कंडिका – निरंक है।

अतः अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि ग्राम घुटकू प.ह.न. 59 खसरा नंबर 56, 61/1, 61/2, 61/3, 71/2, 75, 76 कुल रकबा 9.69 एकड़ में खम्हार 8140 नग, सागौन 412, मेलियम 100 नग, बांस 125 नग कुल रकबा 9.69 ए. में कृषि के रूप में खम्हार, सागौन, मेलियम, बांस, प्रजाति के वृक्ष रोपित किये गये है। जो कांटे जानें पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नहीं हो रहा है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अनुसार वृक्षों को काटे जानें पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) कं अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम 2001, का पालन नहीं किये जानें पर यह अभिमत शून्य होगी।

यह अभिमत आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
तखतपुर, जिला–बिलासपुर,(छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/अविअ/वा–1 /2025/1885 तखतपुर, दिनांक 29/05/2025

प्रतिलिपी :–

1.–कलेक्टर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं सादर संप्रेषित।
2.–वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, बिलासपुर बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3.– तहसीलदार सकरी को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
तखतपुर, जिला–बिलासपुर,(छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)